संख्या- 01/ 30/चार-2015-24(बजट)14

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, लखनऊ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2558/सं0नि-15 (60)/2012-13, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-92 के आयोजनागत पक्ष में 05-कैफी आजमी एवार्ड-42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी की अवार्ड हेतु स्वीकृति की गयी धनराशि किन-किन महानुभावों को दिया गया है, का स्पष्ट व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र के माध्यम से आगामी किश्त प्राप्त करने से पूर्व, निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि की आडिट रिपोर्ट नियमानुसार (वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की) आगामी किश्त प्राप्त करने से पूर्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनागत- 102- कला एवं संस्कृति का संवर्धन-05-कैफी आजमी एवार्ड-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 01 /30(1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- महासचिव, ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, ई0डी0-26, राजाजीपुरम, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in